कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमॉक 417 /आउशि/छात्रवृत्ति शाखा/09/ भोपाल दिनॉक 24/9/09

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा, (म.प्र.)
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)

विषयः—विक्रमादित्य योजना अन्तर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय वार जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् ।

---0---

योजनान्तर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रो को जिन्होंने कक्षा 12 वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 42,000/— रूपये से कम है तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आपके क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालय एवं समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम के छात्रों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर 30 अकटूबर 2009 तक अवगत करावें कि किस महाविद्यालय मे कितने छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है । ताकि इस कार्यालय से बजट का आवंटन उपलब्ध कराया जा सके ।

उच्च शिक्षा विभाग केवल ट्रेडिशनल (पारम्परिक) महाविद्यालयें के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । शेष तकनीकी/चिकित्सा तथा गैर पारंपरिक महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु संबंधित विभाग अपने स्तर से बजट प्रावधान तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित आवश्यक कार्यवाहीं करावेंगे ।

संलग्नः—गाईड लाईन्स, आवेदन पत्र का प्रारूप
एवं जानकारी देने हेतु प्रारूप

आयुक्त,
उच्चशिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कं 418 आउशि/छात्रवृत्ति शाखा/09/ भोपाल दिनॉक 24/9/09

प्रतिलिपिः—

1. ~~सचिव,माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल~~ ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
3. सचिव, मध्यपदेश शासन तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/पशु चिकित्सा शिक्षा/किसान कल्याण/कृषि विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. चालक,तकनीकीशिक्षा/चिकित्साशिक्षा/पशुचिकित्साशिक्षा/कृषिसंचालनालय

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

आवेदन पत्र

विक्रमादित्य योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

(केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

1– छात्र/छात्रा का नाम:–..

2– छात्र/छात्रा के पिता/पति का नाम :..

3– मूल निवास का स्थाई पता :..

....

4– वर्तमान पता :..

....

5– कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष:..

6– कक्षा 12वीं में प्राप्तांक एवं प्रतिशत :..

(हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंक सूची की प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न की जावे।

7– शा0 महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशा0 महाविद्यालय

का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो :..

8– संकाय का नाम एवं संकाय का विषय :..

9– मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र..

10– सक्षम अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय ....

प्रमाण पत्र जो 42,000/–रू0 से कम का हो प्रमाण पत्र।

11– शिक्षण शुल्क की राशि अंकों में.......................(शब्दों में)..

स्थान:–

दिनांक:–

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर एवं नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....

पिता/पति.. इस महावि0..

में स्नातक.. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है इन्होंने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण पत्र के अनुसार इनके अभिभावक की वार्षिक आय 42,000/– रूपये से कम है तथा इनसे कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये .... जमा करा लिया गया है/जमा कराया जावेगा।

कार्यलय प्रमुख संस्था के हस्ता0 एवं सील

विषयः–विक्रमादित्य योजना अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयक मार्गदर्शी सिध्दांत ।

––––0––––

1. यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009–10 के लिये केवल स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों पर लागू होगी ।
2. छात्र/छात्रा के व्दारा वर्ष 2008–09 हायर सेकेन्डरी (बारहवी) की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
3. छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा ।
4. यह योजना केवल निर्धन सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।
5. अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 42,000/– से अधिक नही होना चाहिये
6. सक्षम अधिकारी व्दारा प्रदाय मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. यह योजना केवल शासकीय /अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।
8. यह योजना केवल निःशुल्क शिक्षा देने से संबधित है । अतः शिक्षण शुल्क की वास्तविक राशि जो छात्र/छात्रा के व्दारा संस्था में जमा की जायेगी उसकी प्रतिपूर्ति उच्च शिक्षा विभाग व्दारा की जायेगी ।

24.7.09

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

विक्रमादित्य योजनान्तर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों को निशुल्क शिक्षा हेतु राशि की आवश्यकता बाबत जानकारी (केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 12 वीं में प्राप्तांक एवं प्रतिशत	अभिभावक की वार्षिक आय	कक्षा का नाम	कुल शिक्षण शुल्क